के. सी. शर्मा और अन्य

बनाम

भारत संघ

25 जुलाई, 1997

[जे. एस. वर्मा, सी. जे., एम. एम. पंची, एस. सी. अग्रवाल, डॉ. ए. एस. आनंद और एस. पी. भरुचा, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून:

भारतीय रेलवे स्थापना संहिता - नियम 2544 - रेलवे कर्मचारी 1.1.73 और 5.12.88 के बीच सेवानिवृत्त हुए - अधिसूचना में नियम में संशोधन किया गया और पूर्वव्यापी संचालन द्वारा औसत परिलब्धियों की गणना करते समय रनिंग भत्ते की प्रतिशत सीमा कम कर दी गई - न्यायाधिकरण ने अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला - समान राहत के समान पद पर कार्यरत कर्मचारियो द्वारा आवेदन - न्यायाधिकरण द्वारा समय-बाधित के रूप में खारिज कर दिया गया - अभिनिर्धारित किया, न्यायाधिकरण को देरी को माफ कर देना चाहिए था और राहत देनी चाहिए थी।

अपीलकर्ता 1.1.73 के बाद लेकिन 5.12.88 से पहले उत्तर रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए थे। वे दिनांक 5.12.88 की अधिसूचना से व्यथित थे,

जिसमें भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2544 में संशोधन करके 1.1.73 से 31.3.79 के बीच की अवधि के लिए पेंशन की गणना के लिए लिए जाने वाले रनिंग भत्ते की प्रतिशत-आयु सीमा को 75% से घटाकर 45% कर दिया गया था और अवधि से 55% तक, 1.4.79 से आगे, यानी कि पूर्वव्यापी रूप से।

कैट की पूर्ण पीठ ने उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया। अपीलकर्ताओं, जो समान रूप से रखे गए थे, ने रेलवे प्रशासन के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में, उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया और उसी तरह की राहत की मांग की जो समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों को दी गई थी। आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह परिसीमा के कारण वर्जित है। इसलिए यह अपील।

अपील की अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णय की सत्यता की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा पहले ही की जा चुकी है। [89-सी]

1.2. मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण को देरी को राहत दी जानी चाहिये थी जैसा कि न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ ने दी थी। [89-डी]

1.3. न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए. प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता पेंशन के मामले में उसी राहत के हकदार होंगे जो न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा दी गई थी। [89-डी]

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं अन्य बनाम सीआर. रंगधमिया और अन्य, [1997] पूरक 3 एससीआर 63, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5082/1997

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. संख्या 774/1994 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.7.94 से।

जे.एम. खन्ना, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस.सी. अग्रवाल, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने में देरी माफ की जाती है।

विशेष अनुमति स्वीकार की गई।

यह अपील केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) की प्रधान पीठ के 25 जुलाई, 1994 के ओ.ए. संख्या 774/1994 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है। अपीलकर्ता उत्तर रेलवे में गार्ड के रूप में कार्यरत थे और वे 1980 और 1988 के बीच की अवधि के दौरान गार्ड के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वे 5 दिसंबर,

1988 की अधिसूचना से व्यथित महसूस करते थे, जिसके तहत भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2544 को संशोधित किया गया और औसत परिलब्धियों की गणना के प्रयोजन के लिए रनिंग भत्ते के संबंध में अधिकतम सीमा 1 जनवरी, 1973 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के लिए 75% से घटाकर 45% और 1 अप्रैल, 1979 से आगे की अवधि के लिये 55% कर दी गई।

5 दिसंबर, 1988 की विवादित अधिसूचनाओं द्वारा पेश किए गए पूर्वव्यापी संशोधनों की वैधता पर न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ ने 16 दिसंबर, 1993 के अपने फैसले में ओ.ए. संख्या 395-403 /1993 में विचार किया था और संबंधित मामले और उक्त अधिसूचना जहां तक संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की बात है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए अमान्य माना गया। चूंकि अपीलकर्ता विवादित संशोधनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने रेलवे प्रशासन के समक्ष अभ्यावेदन दायर करके न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय का लाभ मांगा। चूंकि वे निवारण प्राप्त करने में विफल रहे, उन्होंने अप्रैल 1994 में ट्रिब्यूनल के समक्ष राहत की मांग करते हुए आवेदन (ओ.ए. संख्या 774/1994) दायर किया। अपीलकर्ताओं के उक्त आवेदन को न्यायाधिकरण ने आक्षेपित निर्णय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था।

न्यायाधिकरण ने उक्त आवेदन के दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।

न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णय की सत्यता की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम सी. आर. रंगधामैया और अन्य, सिविल अपील संख्या 4174-4182 /1995 द्वारा की गई है और संबंधित मामलों पर आज निर्णय लिया गया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें न्यायाधिकरण को आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर देना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को उसी शर्तों के तहत राहत दी जानी चाहिए थी जैसा कि न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा प्रदान किया गया था। इसलिए, अपील को स्वीकार किया जाता है, न्यायाधिकरण के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जाता है, ओ.ए. क्रमांक 774/1994 को दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है और उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता पेंशन के मामले में उसी राहत के हकदार होंगे जो न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ ने 16 दिसंबर, 1993 के अपने फैसले में ओ.ए. संख्या 395-403 /1993 और संबंधित मामले में दी है। लागत के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

ए.क्यू.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।